



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर-452 010 (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

सं. : ए-12(3)/2013-15/476

दिनांक : 16.02.2018

कार्यालय ज्ञापन

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गये कार्यालय ज्ञापन सं.: A-12(3)/2012-13/76, dated 17.1.2014 में सूचीबद्ध आठ अस्पतालों, एवं पूर्व से सीजीएचएस द्वारा मान्यता प्राप्त बी एच आर सी (भण्डारी अस्पताल), चरक अस्पताल के अतिरिक्त "मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, इन्दौर" को सी.एस. (एम.ए) अधिनियम 1944 के अंतर्गत, सीजीएचएस द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। अतः नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के नियमानुसार आश्रित सदस्य सी.जी.एच. एस. की दरों पर "मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, इन्दौर" में इलाज करा सकते हैं।

दिनांक 17.1.2014 के कार्यालय ज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आर. वासुदेवन
16/2/18
(आर. वासुदेवन)
उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी सदस्य के निजी सहायक, ननिप्रा, इन्दौर।
2. सदस्य-सिविल/विद्युत/पर्यावरण-पुर्नवास के निजी सचिव/सहायक, ननिप्रा, इन्दौर।
3. सचिव/मुख्य अभियंता, ननिप्रा, इन्दौर।
4. समस्त निदेशक, ननिप्रा, इन्दौर।
5. समस्त उप निदेशक स्तर के अधिकारीगण, ननिप्रा, इन्दौर।
6. वित्त अधिकारी, ननिप्रा, इन्दौर, (सी.जी.ई.डब्ल्यू सी.सी. से प्राप्त पत्र एवं मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित अस्पताल के कार्यालय ज्ञापन संलग्न हैं)।
7. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ननिप्रा, इन्दौर को आवश्यक कार्रवाई हेतु, कृपया, ननिप्रा की वेब साइट अपलोड करें।
8. कार्यालय आदेश संचिका।

आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अमले (अनुबंध के अलावा) को इस का.ज्ञा. से अवगत करावें।



जल संसाधन - जल संयोजन

स्वच्छ सुरक्षित जल-सुन्दर खुशहाल कल

CONSERVE WATER - SAVE LIFE